बिहार सरकार

<u>बिहार विकास मिशन</u>

दिनांक- 28.02.2018 को अध्यक्ष, उप मिशन-सह विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार विकास मिशन अंतर्गत पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन की मासिक समीक्षात्मक बैठक की <u>कार्यवाही</u>

उपस्थिति:- बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची (अनुलग्नक-1)।

अध्यक्ष, उपमिशन, बिहार विकास मिशन -सह- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा उप मिशन के प्रदर्शित PPT के आलोक में सम्बंधित निश्चय एवं सुशासन के बिन्दुओं की क्रमवार समीक्षा की गयी, जिसकी विवरणी निम्नवत है-

2. हर घर बिजली –

विद्युत विभाग में प्रतिनिधि द्वारा निम्न सूचना दी गयी -

- विभाग द्वारा विद्युतीकरण हेतु कुल 1.23 करोड़ ग्रामीण घर चिन्हित किये गए हैं जिनमें से जनवरी, 2018 तक 89.3 लाख ग्रामीण घरों को विद्युत् संपर्कता प्रदान की जा चुकी है तथा शेष लगभग 34 लाख घरों को दिसम्बर, 2018 तक विद्युत् संपर्कता प्रदान कर दी जाएगी।
- विभाग द्वारा कुल 1,06,667 बसावटों को विद्युत् संपर्कता प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 89,258 को आच्छादित किया जा चुका है ।
- पिछली बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के कुल सर्वेक्षित 1.29 लाख बसावटों का अनुसरण करने के सुझाव के अनुपालन के पृच्छा में भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित विवरणी में पुनः संशोधन में कठिनाई उत्पन्न होने के फलस्वरूप विभाग द्वारा सर्वेक्षित कुल 1,06,667 बसावटों में ही उपर्युक्त 1.29 लाख बसावटों को सम्मिलित किया जा चुका है।
- मई, 2018 तक विभागीय सर्वेक्षित कुल बसावटों के विद्युतीकरण के उपरांत राज्य में कोई ग्रामीण बसावट अविद्युतिकृत नहीं रहेगा।
- विभाग एवं जिलों द्वारा प्रतिवेदित मासिक विद्युतिकृत ग्रामीण घरों की संख्या में भिन्नता के सम्बन्ध में विभाग के राजस्व शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गए एवं तदनुसार GARV Portal पर अपलोड आंकड़ों (consumers की संख्या) को आधार माना जाता है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा मात्र बिजली मीटर अधिष्ठापित घरों की संख्या को प्रतिवेदित किया जाता है।

  अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्युतिकृत ग्रामीण घरों के आंकड़ों की भिन्नता (Consumers vs अधिष्ठापित मीटर vs विद्युतिकृत घर) का समाधान कराने का निदेश दिया गया।

3. हर घर नल का जल – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा निम्न सूचना दी गयी –

- जिलावार/योजनावार वार्षिक लक्ष्य (चिन्हित ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता प्रभावित-फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं लौह तथा गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डों) का निर्धारण कर लिया गया है तथा इसे उप-मिशन कार्यालय को भी उपलब्ध करा दिया गया है।
- साथ ही गैर-गुणवत्ता वार्डों को वार्ड क्रियांवायाम एवं प्रबंधन समिति से क्रियान्वित किये जाने तथा पूर्व संचालित स्टैंड पोस्ट वाले जलापूर्ति योजनाओं में गृह संयोजन प्रदान किये जाने वाले वार्डों में भी पृथक कर वांछित आंकडें शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।
- विभागीय कार्य प्रमंडलों द्वारा सम्प्रति सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्त्रोतों की गुणवत्ता की पुनः जांच कराई जा रही जिससे कालांतर में उपर्युक्त आंकड़ों के संशोधन होने की संभावना प्रबल है।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध योजनाओं के निविदा का प्रकाशन, निष्पादन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश का निर्गमन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति की संभावना प्रबल है।
- निविदा के प्रकाशन, निष्पादन एवं ग्रामीण वार्डों में कार्य प्रारंभ किये जाने वाले वार्डों के सतत अनुश्रवण के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर जिलावार उक्त आशय का मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उप-मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं शीघ्र एक नया MIS तैयार किये जाने का आश्वासन दिया गया।

Scanned by CamScanner